भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1811

उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए निधियां

†1811. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय ने यह किस प्रकार सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग छात्रावासों और जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के लिए किया जाए; और

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजाति (अजजा) समुदायों के लिए निर्धारित निधियों को जनजातीय कल्याण की योजनाओं की ओर निर्देशित किया जाए, बाध्य मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)/जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए निर्धारित निधियों को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत रखना आवश्यक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बाध्य मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएसटी/टीएसपी निधियों की निगरानी के लिए वेब पते: https://stcmis.gov.in के साथ एसटीसी एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। जनजातीय कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जाने के लिए मंत्रालय सबसे पहले चुनिंदा जनजातीय बहुल गांवों और ब्लॉकों में स्कूलों, आंगनवाड़ियों आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अंतरों की गणना करता है। अंतर के आकलन के बाद मंत्रालय ने पीएम जनमन और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जैसी योजनाओं की भी संकल्पना की है, जहां जनजातीय छात्रावासों और पक्के मकानों, आंतरिक सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे जैसे विशिष्ट लक्षित उपायों (हस्तक्षेपों) को अंतिम छोर और सबसे वंचित समुदायों तक पहुंचने के लिए समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है।

भूमि संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा विद्यालयों के प्रबंधन के लिए उचित संरचना प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस 3.0) की परिकल्पना की गई है।

विद्यालयों की स्थापना के लिए मानदंड में संशोधन किया जा रहा है, ताकि छूटे हुए राज्यों, ईएमआरएस रहित 1 लाख से अधिक आबादी वाले 100 नए ईएमआरएस जिलों की स्थापना, केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत ईएमआरएस स्वीकृत न किए गए राज्यों, सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों तथा राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों को शामिल किया जा सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अनुदान के अंतर्गत कई गतिविधियों के लिए निधियां प्रदान की जाती है, जिनमें शिक्षा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां जैसे मौजूदा भवन अवसंरचना में वृद्धि, सह-शिक्षा आवासीय विद्यालय का निर्माण, बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों का निर्माण, आश्रम विद्यालयों का निर्माण, आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण; आईटी आधारित शिक्षा सुविधाएं/उपकरण आदि शामिल हैं।

मंत्रालय डीएपीएसटी/टीएसपी के अंतर्गत आवंटन, उपयोग और वास्तविक प्रगति की समीक्षा करने के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समय-समय पर बैठकें भी आयोजित करता है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से योजना/कार्यक्रम-वार प्रगति और निधियों के उपयोग की निगरानी भी की जाती है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का दौरा करते समय अधिकारी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का भी पता लगाते हैं। साथ ही, सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के मानदंडों के अनुसार आगे निधियों को जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में उपयोग प्रमाण-पत्रों पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए निधियों को जारी करने और निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार एक एकल नोडल एजेंसी नामित करने की भी आवश्यकता होती है।

मिशन की उपाय-वार या मंत्रालय-वार प्रगति की नियमित निगरानी के लिए, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मंत्रालय-वार इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं। इन डैशबोर्डों में, गतिशील डेटा को एपीआई शेयरिंग के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों के एमआईएस पोर्टल से सीधे प्राप्त किया जाता है और डैशबोर्ड पर उपयोगी फ़ील्ड को विज़ुअलाइज़ किया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय के उपाय के तहत, उनकी संबंधित योजना की उपलब्धियों की वास्तविक समय की निगरानी को एपीआई के माध्यम से जोड़ा गया है। पीएम जनमन के अंतर्गत सभी 11 उपायों/योजनाओं की प्रगति जानने की सुविधा एक ही मंच पर उपलब्ध है। पीवीटीजी के लिए विशिष्ट इस मजबूत डेटाबेस और अंतर विश्लेषण ने गांवों/बस्तियों में मौजूदा अंतरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। पीएम गति शक्ति डेटाबेस, अंतर विश्लेषण, निगरानी डैशबोर्ड, रिपोर्ट आदि ने मंत्रालयों/विभागों को सबसे अधिक दबाव वाली जरूरतों की पहचान करने, लक्षित उपायों की योजना बनाने और प्रगति की प्रभावी निगरानी करने में सक्षम बनाया है।

*****